

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्य प्रदेश

कमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2011/

भोपाल दिनांक

आदेश

श्री चन्दु पाव, लेखापाल, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिंगरौली को स्वयं के व्यय पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शहडोल के अधीन स्थानांतरित करते हुये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बुढार जिला शहडोल में तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

(जे.एन. कंसोटिया)

स्वास्थ्य आयुक्त

मध्य प्रदेश

भोपाल दिनांक 02-01-2012

पृ. कमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2011/ 04-A

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग म.प्र।
2. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रोफेसर कालोनी, भोपाल, म.प्र।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा संभाग म.प्र।
4. अपर संचालक (प्रशासन/एम.आई.एस.) स्थानीय कार्यालय।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला शहडोल/सिंगरौली म.प्र।
6. जिला कोषालय अधिकारी शहडोल/सिंगरौली।
7. शीघ्र लेखक, आयुक्त स्वास्थ्य / संचालक चिकित्सा सेवायें, स्थानीय कार्यालय भोपाल।
8. श्री चन्दु पाव, लेखापाल, द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिंगरौली की और पालनार्थ।
9. आदेश नस्ती।

MIS

स्वास्थ्य आयुक्त  
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये,  
मध्य प्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2012/

भोपाल दिनांक

आदेश

श्री सरोज कुमार पारदी, सहायक ग्रेड-3, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला देवास का स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी छिन्दवाड़ा का अधीन रिक्त पद पर तत्काल प्रभाव से किया जाता है।

(जे.एन. कंसोटिया)

स्वास्थ्य आयुक्त

मध्य प्रदेश

भोपाल दिनांक 21/2/2012

पू. क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2012/ 248-B

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग म.प्र।
2. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रोफेसर कर्मलाल, भोपाल म.प्र।
3. सभापतीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवार्ये, उज्जैन/जबलपुर संभाग म.प्र।
4. अपर संचालक (प्रशासन/एम.आई.एस.) स्थानीय कार्यालय।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला देवास/छिन्दवाड़ा म.प्र।
6. जिला कोषालय अधिकारी देवास/छिन्दवाड़ा।
7. शीघ्र लेखक, आयुक्त स्वास्थ्य / संचालक चिकित्सा सेवार्ये, स्थानीय कार्यालय भोपाल।
8. श्री सरोज कुमार पारदी, सहायक ग्रेड-3, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला देवास की और पालनार्थ।
9. आदेश नस्ती।

स्वास्थ्य आयुक्त

मध्य प्रदेश

अप.संचा. (प्रशा.), जा.क्र. 828  
दिनांक 21/02/12

MIS  
21/2/12

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्य प्रदेश

क्रमांक / 2 / अवि. / सेल-टी.पी. / 2012 /

भोपाल दिनांक

आदेश

श्री मदन मोहन वर्मा, सहायक ग्रेड-3, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला हरदा का स्थानांतरण स्वयं के व्यय पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी होशंगाबाद के अधीन रिक्त सहायक ग्रेड-2 के पद के विरुद्ध किया जाता हैं।

(जे.एन. कंसोटिया)  
स्वास्थ्य आयुक्त  
मध्य प्रदेश

भोपाल दिनांक 16/02/2012

पृ. क्रमांक / 2 / अवि. / सेल-टी.पी. / 2012 / 232 - B

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग म.प्र।
2. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रोफेसर कालोनी, भोपाल म.प्र।
3. संगीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल संभाग म.प्र।
4. अपर संचालक (प्रशासन/एम.आई.एस.) स्थानीय कार्यालय।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला हरदा/होशंगाबाद म.प्र।
6. जिला कोषालय अधिकारी हरदा/होशंगाबाद।
7. शीघ्र तारक, आयुक्त स्वास्थ्य / संचालक चिकित्सा सेवायें, स्थानीय कार्यालय भोपाल।
8. श्री मदन मोहन वर्मा, सहायक ग्रेड-3, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला हरदा की और पालनार्थ।
9. आदेश नस्ती।

773  
अप.सं. (प्रशा.) पत्र  
दिनांक 25/02/12

Mr. Thomas  
MIS

Sy  
24/2/12

स्वास्थ्य आयुक्त 16/2/12  
मध्य प्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्य प्रदेश

कमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2012/

भोपाल दिनांक

आदेश

श्री रामकिशोर गुप्ता, नेत्र सहायक, जिला ग्वालियर का स्थानांतरण संचालनालय आदेश क. 2/अवि./सेल-टी.पी./एफ-25/2011/497 दिनांक 07.06.2011 द्वारा प्रशासकीय आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायसेन के अधीन किया गया।

श्री रामकिशोर गुप्ता, नेत्र सहायक, जिला ग्वालियर द्वारा उक्त पदस्थापना के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में याचिका क्र. 432/2011 दायर की गई थी जिसमें उनके द्वारा पत्नी के शिक्षा विभाग ग्वालियर में पदस्थ होने तथा पिताजी के हृदय रोग से पीड़ित होने के कारण मानवीय आधार पर स्थानांतरण, निरस्त किये जाने हेतु याचना की गई।

माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा दिनांक 08.08.2011 को प्रकरण कमांक 432/2011 में निर्णय पारित करते हुये अपीलार्थी श्री रामकिशोर गुप्ता को ग्वालियर में ही कार्यरत रहने के आदेश देते हुए सक्षम अधिकारी को याचिका कर्ता के अभ्यावेदन पर विचार कर प्रकरण का निराकरण किये जाने के निर्देश दिये गये।

श्री रामकिशोर गुप्ता, नेत्र सहायक, जिला ग्वालियर में लम्बी अवधि वर्ष 1991 से पदस्थ हैं। तथा श्री गुप्ता के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता की गम्भीर शिकायतें प्राप्त होने पर शिकायतों की जांच, कलेक्टर जिला ग्वालियर एवं संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें ग्वालियर संभाग द्वारा गठित टीम द्वारा की जा रही हैं। ऐसी स्थिति में जांच के प्रचलित रहने से श्री रामकिशोर गुप्ता को ग्वालियर में पदस्थ रखना उचित नहीं होगा।

अतएव माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.08.2011 के परिपालन में श्री रामकिशोर गुप्ता, नेत्र सहायक, जिला ग्वालियर का अभ्यावेदन पर विचारोपरांत अमान्य किया जाता है।

(जे.एन. कंसोटिया)  
स्वास्थ्य आयुक्त  
मध्य प्रदेश

भोपाल दिनांक 1/3/2012

पृ. कमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./2012/281-C

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. सचिव, मध्यप्रदेश शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय की और सूचनार्थ।
2. रजिस्ट्रार माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर की और न्यायालय प्रकरण कमांक डब्ल्यू.पी. 432/2011 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
3. महाधिवक्ता, माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर मध्यप्रदेश।
4. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग म.प्र।
5. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर / भोपाल संभाग म.प्र।
6. अपर संचालक (प्रशासन/एम.आई.एस.) स्थानीय कार्यालय।
7. उप संचालक (लीगल) स्थानीय कार्यालय की और सूचनार्थ प्रेषित।
8. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर / रायसेन म.प्र।
9. जिला कोषालय अधिकारी ग्वालियर / रायसेन मध्यप्रदेश।
10. श्री रामकिशोर गुप्ता, नेत्र सहायक, जिला ग्वालियर की और सूचनार्थ।
11. आदेश नस्ती।

स्वास्थ्य आयुक्त  
मध्य प्रदेश

अ.सं.वा. (प्रशा.), जा.क. 1090  
दिनांक

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्य प्रदेश

क्रमांक / 2 / अवि. / सेल-टी.पी. / 2012 /

भोपाल दिनांक

आदेश

श्री सुरेन्द्र सिंह फार्मासिस्ट ग्रेड-1, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिरमोर जिला रीवा का कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रीवा में किया गया संलग्नीकरण तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। श्री सुरेन्द्र सिंह फार्मासिस्ट ग्रेड-1, अपने मूल पदस्थापना स्थल सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिरमोर जिला रीवा में यथावत कार्यरत रहेंगे।

(जे.एन. कंसोटिया)  
स्वास्थ्य आयुक्त  
मध्य प्रदेश

भोपाल दिनांक 7/3/12

पृ. क्रमांक / 2 / अवि. / सेल-टी.पी. / 2012 / 334-C

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, की और टीप क. 09.01.2012 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।
2. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रोफेसर कालोनी, भोपाल म.प्र।
3. जंभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, रीवा संभाग म.प्र।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रीवा म.प्र।
5. शीघ्र लेखक, आयुक्त स्वास्थ्य / संचालक चिकित्सा सेवायें, स्थानीय कार्यालय भोपाल।
6. श्री सुरेन्द्र सिंह फार्मासिस्ट ग्रेड-1, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सिरमोर जिला रीवा द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला रीवा की और पालनार्थ।
7. आदेश नस्ती।

स्वास्थ्य आयुक्त  
मध्य प्रदेश

7/3/12

श्री श्यामस

7/3/12

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्य प्रदेश

कमांक / 2 / अवि. / सेल-टी.पी. / 2012 /

भोपाल दिनांक

आदेश

प्रशासकीय कार्य सुविधा की दृष्टि से निम्न लिखित कर्मचारियों को कॉलम नम्बर 4 की वर्तमान पदस्थापना स्थान से कॉलम नम्बर 5 में दर्शाये गये जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी / संस्था प्रमुख के अधीन तत्काल प्रभाव से अन्य आगामी आदेश तक स्थानांतरित कर पदस्थ किया जाता है :-

कं	कर्मचारी का नाम	पदनाम	वर्तमान पदस्थापना स्थान	नवीन पदस्थापना	स्थानान्तरण का आधार
1	2	3	4	5	6
1	श्री राजेश कुलश्रैष्ठ	लेब टेक्नीशियन	प्रसूति गृह लक्ष्मीगंज जिला ग्वालियर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दतिया के अधीन	प्रशासकीय
2	श्री पी.के. श्रीवास्तव	नॉन मेडिकल असिस्टेंट	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हरितनापुर जिला ग्वालियर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजगढ़ के अधीन	प्रशासकीय

(जे.एन. कंसोटिया)  
स्वास्थ्य आयुक्त  
मध्य प्रदेश

पु. कमांक / 2 / अवि. / सेल-टी.पी. / 2012 / 283-C

भोपाल दिनांक 1/3/2012

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

- विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग म.प्र।
- निज सहायक, माननीय राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रोफेसर कालोनी, भोपाल म.प्र।
- समस्त, संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर/भोपाल म.प्र।
- संयुक्त संचालक एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला ग्वालियर / दतिया / राजगढ़ म.प्र।
- सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश।
- जिला कोषालय अधिकारी ग्वालियर / दतिया / राजगढ़ मध्यप्रदेश।
- शीघ्र लेखक, आयुक्त स्वास्थ्य / संचालक चिकित्सा सेवायें, स्थानीय कार्यालय भोपाल।
- संबंधित कर्मचारी की और तत्काल पालनार्थ।
- आदेश नस्ती

स्वास्थ्य आयुक्त  
मध्य प्रदेश

M/S  
06/11/12

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्य प्रदेश

क्र./02 /अविज्ञप्त/सेल-टी0पी0/2012/

भोपाल, दिनांक /04/2012

-: आदेश :-

संचालनालय के आदेश क्र./02/अविज्ञप्त/सेल-टी0पी0/एफ-12/ 2011/470, दिनांक 07/06/2011 में सरल क्रमांक 03 पर अंकित श्री रामगोपाल प्रजापति, सहायक ग्रेड-2, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बैतुल से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ़ के अधीन किया गया स्थानांतरण एतद् द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

(जे0एन0कंसोटिया),  
स्वास्थ्य आयुक्त  
मध्यप्रदेश

क्र./02 /अविज्ञप्त/सेल-टी0पी0/2012/516-7

भोपाल, दिनांक 19/04/2012

प्रतिलिपि : - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

विशेष सहायक मान. मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण बी -6 चार ईमली भोपाल म.प्र ।

निज सचिव, मान. राज्य मंत्री जी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, बी -4 सिविल लाईन्स प्रोफेसर कालौनी भोपाल म.प्र ।

02. अपर संचालक(एम0आई0एस), स्थानीय कार्यालय, भोपाल, म0प्र0 ।
03. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें, भोपाल मध्यप्रदेश ।
04. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला राजगढ़/बैतुल, म0प्र0 ।
05. जिला कोषालय अधिकारी, जिला राजगढ़/बैतुल म0प्र0 ।
06. उपरोक्त संबधित कर्मचारी की और सूचनार्थ ।
07. आदेश नस्ती

स्वास्थ्य आयुक्त  
मध्यप्रदेश

उप. सेवा. (प्रशा.) जा.क्र. 2415  
दिनांक 25/04/12

MIS  
24/4/12

संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएँ  
मध्यप्रदेश

क्रमांक 2/अवि./सेल-टी.पी./2012/

भोपाल, दिनांक / /2012

आदेश

श्री.बबीता निर्वेल संगणक सामु.स्वा.केन्द्र छेगांव माखन जिला खण्डवा का स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से स्वयं के व्यय पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला-खरगोन के अधीन किया जाता है ।

(जे.एन.कंसोटिया)  
स्वास्थ्य आयुक्त  
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक 2/अवि./सेल-टी.पी./2012/ 452 - A  
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

भोपाल, दिनांक 3/4/2012

1. विश्व सहायक,माननिय स्वास्थ्य मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश भोपाल ।
2. निज सहायक,राज्य मंत्रीजी लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रोफेसर कालोनी मध्य प्रदेश भोपाल ।
3. संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवायें इन्दौर संभाग म.प्र.।
4. संयुक्त संचालक एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय ।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खण्डवा / खरगोन म.प्र. ।
6. जिला कोषालय अधिकारी खण्डवा / खरगोन मध्यप्रदेश ।
7. शीघ्रलेखक,आयुक्त स्वास्थ्य /संचालक चिकित्सा सेवायें,स्थानीय कार्यालय भोपाल।
8. श्री.बबीता निर्वेल संगणक सामु.स्वा.केन्द्र छेगांव माखन जिला खण्डवा की और तत्काल पालनार्थ ।
9. आदेश नस्ती ।

  
स्वास्थ्य आयुक्त 3/4/12  
मध्यप्रदेश



संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्य प्रदेश

क्रमांक/3/प0क0/सेल-8/2012/ 853

भोपाल दिनांक 13/7/2012

आदेश

श्री के0सी0 रावत सहायक सांख्यिकी अधिकारी सिविल सर्जन कार्यालय उज्जैन का स्थानान्तर समान सामर्थ्य में प्रशासकीय आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झाबुआ के अधीन तत्काल प्रभाव से किया जाता है !

K.K.H. Singh  
संचालक, परिवार कल्याण  
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/3/प0क0/सेल-8/2012/ 854

भोपाल दिनांक 13/7/2012

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग भोपाल ।
2. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रोफेसर कालोनी, भोपाल म.प्र।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन, इन्दौर मध्यप्रदेश ।
4. अपर संचालक एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, मन्दसौर, झाबुआ की और भेजकर लेख हैं कि उपरोक्त कर्मचारियों को सात दिवस में भारमुक्त कर अवगत करावे एवं कार्यभार ग्रहण की सूचना संचालनालय को देवे । सेवा पुस्तिका एवं अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (एल.पी.सी.) स्थानांतरित स्थान पर भिजवाना सुनिश्चित करें यदि कोई कर्मचारी संविदा आधार पर नियुक्त हैं तो उसे भारमुक्त न करते हुये तत्काल संचालनालय को अवगत करावें। कार्यभार ग्रहण कराने वाले जिलों में जब तक अंतिम वेतन प्रमाण पत्र प्राप्त न हो जावे वेतन आहरण न किया जावे। स्थानान्तर आदेश की पुष्टि विभागीय बैवसाईट पर अवश्य की जावे ।
6. सिविल सर्जन सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक उज्जैन ।
7. जिला कोषालय अधिकारी, उज्जैन, झाबुआ म0प्र0 ।
8. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/संचालक स्वास्थ्य सेवायें/संचालक चिकित्सा सेवायें/परिवार कल्याण स्थानीय कार्यालय भोपाल।
9. श्री के0सी0 रावत सहायक सांख्यिकी अधिकारी सिविल सर्जन कार्यालय उज्जैन की और तत्काल पालनार्थ।
10. आदेश नस्ती

K.K.H. Singh  
संचालक, परिवार कल्याण  
मध्यप्रदेश


संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्य प्रदेश

कमांक/3/प0क0/सेल-8/2012/ 869.

भोपाल दिनांक 13/7/2012

आदेश


श्री कं0एल0 जैन सहायक सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टीकमगड का स्थानान्तर समान सामर्थ्य में प्रशासकीय आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भिण्ड के अधीन तत्काल प्रभाव से किया जाता है ।

  
संचालक, परिवार कल्याण  
मध्यप्रदेश

पृ.कमांक/3/प0क0/सेल-8/2012/ 870  
प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

भोपाल दिनांक 13/7/2012

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग भोपाल ।
2. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रोफेसर कालोनी, भोपाल म.प्र।
3. सभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, ग्वालियर, सागर मध्यप्रदेश ।
4. अपर संचालक एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय ।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टीकमगड, भिण्ड की ओर भेजकर लेख हैं कि उपरोक्त कर्मचारी को सात दिवस में भारमुक्त कर अवगत करावे एवं कार्यभार ग्रहण की सूचना संचालनालय को देवे । सेवा पुस्तिका एवं अंतिम वेतन प्रमाण पत्र (एल.पी.सी.) स्थानान्तरित स्थान पर भिजवाना सुनिश्चित करें । स्थानान्तर आदेश की पुष्टि विभागीय बैवसाईट पर अवश्य की जावे ।
6. जिला कोषालय अधिकारी, टीकमगड, भिण्ड म0प्र0 ।
7. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/संचालक स्वास्थ्य सेवायें/संचालक चिकित्सा सेवायें/परिवार कल्याण स्थानीय कार्यालय भोपाल ।
8. श्री कं0एल0 जैन सहायक सांख्यिकी अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टीकमगड की ओर तत्काल पालनार्थ ।
9. आदेश नरती

  
संचालक, परिवार कल्याण  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें,  
मध्य प्रदेश

कमांक/3/प0क0/सेल-8/2012/

भोपाल दिनांक

आदेश

श्री के0सी0 रावत सहायक सांख्यिकी अधिकारी सिविल सर्जन कार्यालय उज्जैन का कार्यालयीन आदेश कमांक 3/प0क0/सेल-8/2012/854 दिनांक 13.7.2012 द्वारा प्रशासकीय आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झाबुआ के अधीन किया गया स्थानान्तर आदेश तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है ।

संचालक, परिवार कल्याण  
मध्यप्रदेश

पू.कमांक/3/प0क0/सेल-8/2012/ 896

भोपाल दिनांक 30/7/2012

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, विभाग भोपाल ।
2. निज सहायक, माननीय राज्य मंत्री जी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रोफेसर कालोनी, भोपाल म.प्र।
3. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें, उज्जैन, इन्दौर मध्यप्रदेश ।
4. अपर संचालक एम.आई.एस. स्थानीय कार्यालय।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, ~~उज्जैन~~ झाबुआ । स्थानान्तर आदेश की पुष्टि विभागीय बैवसाईट पर अवश्य की जावे ।
6. सिविल सर्जन सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक उज्जैन ।
7. जिला कोषालय अधिकारी, उज्जैन, झाबुआ म0प्र0 ।
8. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/संचालक स्वास्थ्य सेवायें/संचालक चिकित्सा सेवायें/परिवार कल्याण स्थानीय कार्यालय भोपाल।
9. श्री के0सी0 रावत सहायक सांख्यिकी अधिकारी सिविल सर्जन कार्यालय उज्जैन की और तत्काल पालनार्थ।
10. आदेश नस्ती



संचालक, परिवार कल्याण  
मध्यप्रदेश

संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./एफ-तृतीय/2012/ भोपाल, दिनांक -जुलाई-2012

// आदेश //

संचालनालय के आदेश क्रमांक 972-G दिनांक 13-जुलाई-2012 में आंशिक संशोधन करते हुए अनुक्रमांक 14 पर अंकित श्री आर.के.वर्मा, नेत्र सहायक जिला चिकित्सालय होशंगाबाद का प्रशासकीय आधार पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायसेन के अधीन किया गया स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

(डॉ.पी.एन.एस.चौहान)  
संचालक, चिकित्सा सेवार्ये  
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक/2/अवि./सेल-टी.पी./एफ-तृतीय/2012/1019 भोपाल, दिनांक 24-जुलाई-2012  
प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. विशेष सहायक, माननीय स्वास्थ्य/स्वास्थ्य राज्य मंत्रीजी, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश।
2. संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवार्ये, भोपाल, मध्यप्रदेश।
3. संयुक्त संचालक, एम.आई.एस, स्थानीय कार्यालय।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला रायसेन/होशंगाबाद
5. सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक जिला होशंगाबाद।
6. कोषालय अधिकारी, रायसेन/होशंगाबाद मध्यप्रदेश।
7. निज सहायक, आयुक्त स्वास्थ्य/संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवार्ये, मध्यप्रदेश।
8. संबंधित कर्मचारी की ओर तत्काल पालनार्थ।
9. आदेश नस्ती।

संचालक चिकित्सा सेवार्ये  
मध्यप्रदेश